

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

पत्र क्रमांक 236/तक./ग्रासविप्रा./2021

सीधी, दिनांक 03/01/2021

प्रति,

वन मण्डला अधिकारी,
जिला-सीधी (म.प्र.)

विषय :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मयापुर खुटेली लौआर रोड से बिछरी गांव (पैकज क्रमांक एम.पी. 41209) में प्रभावित वन भूमि 1.68 हेक्टेयर के समतुल्य ग्राम खुटेली में आराजी नंबर 460 रकबा 1.68 हे. उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि में कब्जा प्राप्त करने एवं प्राप्त गैर वन भूमि का वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्तुत करने बाबत। Proposal No. FP/MP/ROAD/51020/2020.

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक/मा.वि./7540 सीधी, दिनांक 31.12.2020

—00—

विषयान्तर्गत आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख किया गया है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मयापुर खुटेली लौआर रोड से बिछरी, (पैकज क्रमांक एम.पी. 41209) में प्रभावित वन भूमि 1.68 हेक्टेयर के समतुल्य गैर वन भूमि गान्धी न्यायलय कलेक्टर जिला सीधी के आदेश क्रमांक 001/अ-19/2020 सीधी, दिनांक 03.06.2020 द्वारा ग्राम खुटेली में आराजी नंबर 460 रकबा 1.68 हेक्टेयर गैर वन भूमि वन विभाग सीधी को हस्तांतरित किया गया था जिसका सीमांकन दिनांक 23.12.2020 को वन परिक्षेत्राधिकारी बहरी एवं राजस्व अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में मौके से कराया गया, जिसमें 1.68 हेक्टेयर के विरुद्ध मात्र 1.06 हेक्टेयर भूमि पायी गई। मौके से पंचनामा तैयार किया गया। उक्त स्थल पर कुछ भूमि में अतिक्रमण भी है, जिसमें अरहर की फसल बोई गई है। इस प्रकार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित गैर वन भूमि 1.68 हेक्टेयर के विरुद्ध 0.62 हेक्टेयर गैर वन भूमि कम होने के कारण मौके से वन विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सका, तत्संबंध में अवगत कराया जाता है, कि तहसीलदार बहरी, जिला सीधी के आदेश क्रमांक 0069/अ-74/2020-21 आदेश दिनांक 21.01.2021 के द्वारा उक्त भूमि कुल रकबा 1.68 हेक्टेयर वनलमण्डलाधिकारी वन मण्डल सीधी के नाम रिकार्ड अद्यतन कर हस्तांतरित की गयी है एवं मौके से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, जिसका स्थल पंचनामा दिनांक 01.02.2021 तैयार कराया गया है।

अतः अनुरोध है, कि मयापुर खुटेली लौआर रोड से बिछरी (पैकज क्रमांक एम.पी. 41209) के वन क्षेत्र से गुजरने वाली लंबाई 2.80 कि.मी. में उन्नयन/खगरीकरण की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि ग्रामीणजनों को आवागमन की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

संलग्न :- स्थल पंचनामा।

(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

सीधी, दिनांक 03/02/2021

पृ. क्र. 237 तक/ग्रासविप्रा./2021

प्रतिलिपि :-

- (1) प्रमुख अभियंता, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधि., पर्यावास भवन गोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- (2) मुख्य महाप्रबंधक सीवा, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. तानसेन काम्पलेक्स सीवा की ओर सादर सूचनार्थ।
- (3) श्री अनिल कुमार तिवारी, उपयंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी की ओर लेख है, कि कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सीधी, में संपर्क कर अनुमति प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

स्वच्छ पंचायत

पञ्च निर्माण 01/02/2021 को ग्राम खुलेली अन्तर्गत श्रीमान कुलेखर महो. के

फोटो 01/अ-19 (3) / 2020x21 आदेश निर्माण 29/07/20 के द्वारा खुलेली की

आवासीय इमारत . 460 रु.का 23.11 हे. में है पुनः रु.का 1.680 हे. वसतिगृह

को स्वतन्त्रता असे का आदेश हुआ था / जिसके कारण के तहत निर्माण में

वहरी के फोटो 0069 / अ-34 / 2020x21 आदेश निर्माण 21/01/21 के द्वारा

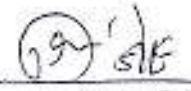
उक्त भूमि का पुनः रु.का 1.680 हे. वसतिगृह/अधिकारी वसतिगृह निर्माण के नाम

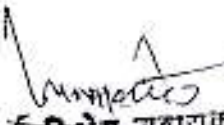
परिचय अधिकृत कर स्वतन्त्रता की गयी। अतः के कोई आवश्यक नहीं

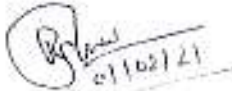
आवश्यक की गयी। अतः यह प्रचारमंत्री द्वारा के सच बंजीनिषर के सचिव के नाम

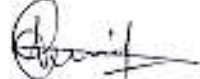
वसति व आदेश की प्रति डिप्टी रेजिस्ट्रार महो. को दी गयी।

स्वच्छ पंचायत अतः के प्रचार कर स्वतन्त्रता करायी गयी।


01-02-021


परिचय अधिकृत
बदल


01/02/21
निर्माण 44



शंकर दत्त